[2021] 2 एस.सी.आर 499

राहुल

बनाम

हरियाणा राज्य

(आपराधिक आवेदन संख्या 262/2021)

03 मार्च, 2021

[अशोक भूषण और आर. सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्तिगण]

भारतीय दंड संहिता, 1860 – s.302 r/w। धारा 34 शस्त्र अधिनियम, 1959। 25 (1 ख) (क) अभियोजन का मामला यह था कि अपीलार्थी–अभियुक्त – सन्देह हुआ कि उसकी पत्नी के पीड़ित–मृतक के साथ अवैध संबंध थे अपीलार्थी ने अपने ससुर और अपने बहनोई को सूचित किया उसी के बारे में और उन तीनों ने पीड़ित मृतक को खत्म करने का फैसला किया–वे तीनों पीड़ित को ले गए थे–मृतक को एक पहाड़ी पर ले गए और उस पर गोली चला दी और उसके बाद उसे एक गड्ढे में फेंक दिया–शव के बारे में पुलिस स्टेशन में एक टेलीफोन संदेश प्राप्त हुआ–उसके बाद उक्त सूचना पाकर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को पहाड़ी की ओर जा रहे कच्चा रोड पर मृतक को घसीटने के निशान मिले और शव की जांच करने पर उन्हें अन्य चोटों के साथ कमर के दोनों ओर आग की दो गोलियां भी मिलीं–प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 302 आर/डब्ल्यू। धारा 34 आई. पी. सी. और एस. 25 शस्त्र अधिनियम–एक के साथ समाचार आइटम मृतक की तस्वीर शव की पहचान के लिए प्रकाशित की गई थी शव की पहचान पीडब्लू–12–मृतक की मां और पीडब्लू–3–मृतक के भाई द्वारा की गई थी–उनके बयान दर्ज करने और आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने के बाद, अपीलार्थी और उसके ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया था–अन्य आरोपी अपीलार्थी के बहनोई। फरार–पीडब्लू–3 और पीडब्लू–12 दोनों ने कहा कि पीड़ित को अपीलार्थी और उसके बहनोई द्वारा बस स्टॉप से ले जाया गया था–इसके अलावा, अपीलार्थी के प्रकटीकरण बयान के आधार पर, एक देश ने उसके बुआ–डी. डब्ल्यू.–1 के घर से पिस्तौल और दो जिंदा कारतुस बरामद किए गए–निचली अदालत ने अपीलार्थी और उसके ससुर दोनों को यू/एस अपराध के लिए दोषी पाया। 302 आर/डब्ल्यू। धारा 34 और अपीलार्थी भी यू / शस्त्र अधिनियम की धारा 25–उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की अपीलार्थी और उसके ससुर को बरी कर दिया–पीड़ित, अपीलार्थी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की–अभिनिर्धारित कियाः वहाँ डी. डब्ल्यू.–1 के आवास से हथियार की बरामदगी पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है–इसके अलावा, एफ. एस. एल. रिपोर्ट के अनुसार, देश में बनी पिस्तौल। 315 अपीलार्थी द्वारा प्रयुक्त बोर कार्यशील क्रम में पाया गया और घटनास्थल से बरामद किए गए दोनों कारतुस और मृतक के शरीर से निकाली गई गोलियां देशी पिस्तौल से चलाई गई पाई गईं जो अपीलकर्ता–आरोपी–पीडब्लू–5 के कहने पर बरामद हुई–डॉक्टर ने बयान दिया था कि मौत का कारण आग–बांह की चोट थी और उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि चलाई गई गोली जो Ex.P1 के रूप में चिह्नित थी वही थी जो मृतक के शरीर से निकाली गई थी–जहां तक पीडब्लू–3 और पीडब्लू–12 की गवाही है

केवल इसलिए कि वे संबंधित हैं, अपने आप में उनकी गवाही को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है–एक करीबी रिश्तेदार जो स्वाभाविक गवाह है, उसे एक इच्छुक गवाह के रूप में नहीं माना जा सकता है–यह काफी अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि इच्छुक व्यक्ति के साक्ष्य पर भी विचार किया जा सकता है बशर्ते कि इस तरह के साक्ष्य की पुष्टि अन्य लोगों द्वारा की गई हो।

अभिलेख पर साक्ष्य–साक्ष्य की एक पूरी श्रृंखला है जो अप्रतिरोध्य निष्कर्ष की ओर ले जाएगी कि अपीलार्थी–अभियुक्त उसने अपराध किया है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

कि जिस गोली को Ex.P1 के रूप में चिह्नित किया गया था वह वही थी जिसे मृतक के शरीर से निकाला गया था। [पैरा 18] [516 ई–एफ]

3. यदि अभिलेख पर मौखिक साक्ष्य के साथ

दस्तावेजी साक्ष्य की बारीकी से जांच की जाती है, इस न्यायालय का विचार है कि साक्ष्य की एक पूरी श्रृंखला है जो इससे अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकलेगा कि अपीलार्थी–अभियुक्त ने अपराध किया है और किसी और ने नहीं। यहां तक कि बरामदगी भी ठोस साक्ष्य के साथ पर्याप्त रूप से साबित होती है। प्रकटीकरण में बयान अपीलार्थी–अभियुक्त ने कहा है कि उसने अपने बुआ के साथ हथियार रखा है। हालाँकि उसकी ओर से जाँच की गई थी बरामदगी को गलत साबित करने के लिए आरोपी, साथ ही, उसने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि पुलिस उसके बयान से डेढ़ साल पहले उसके घर गई थी। अगर यह हिस्सा साक्ष्य की जांच की जाती है, अन्य वृत्तचित्र के साथ जब्ती पर साक्ष्य, अपीलार्थी के बुआ के निवास से हथियार की बरामदगी पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इन सभी इस तरह की बरामदगी के लिए गवाहों की जांच करके बरामदगी साबित हुई है। केवल पिस्तौल की बरामदगी के प्रकटीकरण कथन Ex.PX को देखते हुए। 315 24.08.2010 पर उनके बुआ रिकवरी मेमो Ex.PY के घर से बोर और कार्ट्रिज बनाए गए थे। इसके अलावा, एफ. एस. एल. रिपोर्ट Ex.PXX के अनुसार, देश में बनी पिस्तौल। 315 मृतक की हत्या करने के लिए अभियुक्त–अपीलार्थी द्वारा इस्तेमाल किया गया बोर काम करने के क्रम में पाया गया और घटनास्थल से बरामद किए गए गोलियां और मृतक के शरीर से निकाली गई गोलियां दोनों, अपीलार्थी–अभियुक्त के कहने पर बरामद की गई देसी पिस्तौल से चलाई गई गोलियां पाई गईं। इसके अलावा, मृतक के व्यक्ति पर चोटों को डॉक्टर द्वारा साबित किया गया है जिसकी जांच पीडब्लू–5 के रूप में की गई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिलेख पर सामग्री साक्ष्य की पुष्टि अपीलार्थी के ससुर, अपीलार्थी और पीड़ित के बहनोई के मोबाइल फोन के कॉल विवरण से की गई है और इस तरह के कॉल विवरण पीडब्लू–14 के बयान से साबित हुए हैं। इसके अलावा, यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि अभिलेख पर अन्य साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह स्थापित करते हैं कि मृतक की हत्या अपीलार्थी द्वारा अग्नि–भुजा का उपयोग करके की गई थी, तो उद्देश्य का तथ्य अपना महत्व खो देता है, इससे भी अधिक, इस मामले में उद्देश्य को यह दिखाने के लिए प्रमुख ठोस साक्ष्य द्वारा स्थापित किया गया है कि केवल इसलिए कि मृतक ने संबंध विकसित किया था

अपीलार्थी की पत्नी के साथ, मृतक को खत्म करने का फैसला किया है। [पैरा 19] [516–एफ–एच; 517–ए–ई]

4. अभिलेख पर साक्ष्य से, इस न्यायालय का विचार है कि अभियोजन पक्ष ने अपराध साबित कर दिया है

ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके उचित संदेह से परे अभियुक्त। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा भी मकसद साबित किया गया है। [पैरा 20] [517–ई–एफ] [2021] 2 एस. सी. आर.

5. अपीलार्थी द्वारा भरोसा किए गए संजय ठाकुरन के मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ परीक्षणों को ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके पूरा किया जाना है, जब मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है। इसके अलावा, वक्कर के मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि केवल वसूली ही दोषसिद्धि और दोषपूर्ण लेखों की वसूली का आधार नहीं हो सकती है और

हथियार का उपयोग करके अपराध किया, जो डी. डब्ल्यू.–1 के घर से बरामद किया जाता है जो अपीलार्थी का बुआ है। इसके अलावा यह यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभियुक्त का अपराध परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर साबित होता है या नहीं, प्रत्येक मामले का निर्णय अभिलेख पर साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि इस न्यायालय का विचार है कि मामला कानून, जिस पर अपीलार्थी द्वारा भरोसा किया गया है, उसकी याचिका को स्वीकार करने के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा कि अपीलार्थी को गलत तरीके से फंसाया गया था। [पैरा 21] [517–एफ–एच; 518–ए–सी]

6. उच्च न्यायालय ने इसमें अपीलार्थी और उसके ससुर द्वारा दायर अपील में अभिलेख पर साक्ष्य की पुनः सराहना की और

जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की और दूसरे अपीलार्थी यानी उसके ससुर को बरी कर दिया। यद्यपि अपीलार्थी द्वारा इसका प्रतिवाद किया गया है, अन्य अभियुक्तों को दोषमुक्त करते समय साक्ष्य के उसी समूह पर अपीलार्थी के दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करने का कोई कारण नहीं है। विवादित फैसले में, उच्च न्यायालय ने

अन्य अपीलार्थी, अर्थात अपीलार्थी के ससुर को दोषमुक्त किए जाने के कारण दर्ज किए हैं। पीडब्लू–3 ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वह अपनी माँ और मृतक के साथ गया था कुछ समय बाद बध्रा, मृतक उनसे अलग हो गया, और एक मारुति कार में अपीलार्थी और अपीलार्थी (घोषित अपराधी) के बहनोई के साथ वापस आ गया। यह पीडब्लू–3 द्वारा उस राहुल बनाम में कहा गया है। समय मृतक ने कहा कि वह हरिद्वार जा रहा था और तीन–चार दिनों में वापस आ जाएगा। इसके बाद, पीड़ित–मृतक अपीलार्थी और अपीलार्थी के बहनोई के साथ चला गया। इसी प्रभाव के लिए मृतक की माँ, पीडब्लू–12 का बयान है। अभिलेख पर कथित साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि मृतक को आखिरी बार अपीलार्थी और अपीलार्थी के बहनोई (घोषित अपराधी) के साथ देखा गया था। इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि अपीलार्थी–अभियुक्त (उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी) के ससुर भी हरिद्वार जाने के लिए मृतक के साथ थे। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए किसी भी साक्ष्य के अभाव में कि मृतक को भी अपीलार्थी के ससुर के साथ अंत में पीडब्लू–3 और पीडब्लू–12 द्वारा देखा गया था, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है जहां तक दूसरे अपीलार्थी–ससुर का संबंध है।

उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित ऐसे तर्क और अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जहां तक अपीलार्थी का संबंध है, दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए, अन्य अपीलार्थी, अपीलार्थी के ससुर को दोषमुक्त करने के लिए उचित कारण हैं। [पैरा 22] [518–सी–एच]

कन्हैया लाल और अन्य। आदि वी। राजस्थान राज्य (2013) 5 एससीसी 655: [2013] 6 एस. सी. आर. 361; राम चंदर और अन्य। वी. हरियाणा राज्य (2017) 2 एससीसी 321 [2017] 1 एससीआर

10 – पर भरोसा किया।

गोवा राज्य आदि। संजय ठकरन और अन्र। (2007) 3 एस. सी. सी. 755: [2007] 3 एससीआर 507; कन्हैया लाल बनाम। राजस्थान राज्य (2014) 4 एससीसी 715: [2014] 3 एस. सी. आर. 744; वक्कर और अन्र। वी. उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 3 एससीसी 306 – संदर्भित किया गया।

	मामला कानून संदर्भ	
[2007] 3 एससीआर 507	पैरा 10	संदर्भित किया गया है
[2014] 3 एससीआर 744	पैरा 10	संदर्भित किया गया है
(2011) 3 एस. सी. सी. 303	पैरा 10	संदर्भित किया गया है
[2013] 6 एससीआर 361	पैरा 17	पर भरोसा करें
[2017] 1 एससीआर 10	पैरा 17	पर भरोसा करें
[2021] 2 एस. सी. आर	पैरा 17	पर भरोसा करें

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं 262/2021

सी. आर. एल. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 06.12.2016 के निर्णय और आदेश से। ए. नहीं। डी–1060–डीबी/2012।

तथागट हर्षवर्धन, आदित्य सिंह, विकास वर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

दिनेश चंदर यादव, एएजी, अमित गुप्ता, संजय कुमार विसेन, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई

2. पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा 06 दिसंबर 2016 को पारित निर्णय और आदेश से व्यथित होकर इस अपील को प्राथमिकता दी गई है।

चंडीगढ़ में हरियाणा, धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज की गई दोषसिद्धि और दी गई सजा की पुष्टि करता है। 34 विद्वान सत्र न्यायाधीश, भिवानी द्वारा भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 (1 बी) (ए) के तहत।

3. 07.08.2010 पर गाँव के निवासी जसवंत सिंह से चरखी दादरी के पुलिस स्टेशन में एक टेलीफोनिक संदेश प्राप्त हुआ।

कलियाना, इस प्रभाव से कि कलियाना झोजू सड़क से सटे पंचायत भूमि के गड्ढे में पहाड़ी की ओर, एक युवा लड़के का शव पड़ा हुआ था। उक्त सूचना मिलने के बाद, पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक/एस. एच. ओ. अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ जांच के लिए मौके पर पहुंचे। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसके हाथ में आग लगने के निशान थे। घटना स्थल पर, चप्पल की एक जोड़ी के साथ 8 एमएम पी. एफ. के निशान वाले पीतल के दो खाली हिस्से बरामद किए गए। घटनास्थल से खून से सना मिट्टी एकत्र की गई और उसे सीलबंद टुकड़ों में बदल दिया गया। शिकायतकर्ता जसवंत सिंह, जिनसे मुकदमे के दौरान पूछताछ की गई थी, पीडब्लू 6 के रूप में उपस्थित थे और उनका बयान दर्ज किया गया था। निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को पहाड़ी की ओर जा रहे कच रोड पर मृतक को घसीटने के निशान मिले हैं; एक छोटे वाहन के टायर के भी निशान थे। पुलिस द्वारा शव की जांच करने पर, उन्होंने कमर के दोनों ओर दो फायर आर्म शॉट देखे हैं और दाहिने कान के पीछे एक गहरा घाव था और मुंह का बायां जबड़ा काट दिया गया था। मृत शरीर पर खून लगा हुआ था और उन्हें संदेह था कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों के पास राहुल बनाम है। मृतक को एक वाहन में ले आया और हाथ में आग लगने से उसकी हत्या कर दी। जसवंत सिंह (पीडब्लू–6) की शिकायत पर आई. पी. सी. की धारा 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित दंडनीय अपराध के लिए आई. पी. सी. पर एफ. आई. आर. No.297 में अपराध दर्ज किया गया था।

4. अपराध दर्ज करने के बाद जांच शुरू की गई। शव का पोस्टमार्टम पीजीआईएमएस रोहतक में किया गया। के लिए शव की पहचान, समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ मृतक की तस्वीर के साथ। मामले की जाँच के दौरान, 14.08.2010 पर, मृतक की माँ कस्तूरी देवी (पीडब्लू)

12) और मृतक के भाई, नाम से अनिल कुमार (पीडब्लू–3) ने समाचार प्रकाशन के आधार पर पुलिस से संपर्क किया और मृतक की पहचान जितेंद्र के रूप में की, जो पीडब्लू–12 का बेटा और पीडब्लू–3 का भाई और कान्हा का निवासी था। उपरोक्त के बयान दर्ज करने के बाद

गवाहों, मृतक के कॉल विवरण और मृतक की मां और भाई के बयानों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई। आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने के बाद, इसमें अपीलार्थी, यानी मीरपुर के निवासी राहुल को 21.08.2010 पर गिरफ्तार किया गया था। यह कहा गया है कि पूछताछ के दौरान आरोपी राहुल ने खुलासा किया कि लगभग छह महीने पहले उसकी शादी रमेश की बेटी प्रियंका से हुई थी।

जाति जाट, गाँव चांदवास का निवासी। उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था और कहा जाता है कि उसने अपने ससुर रमेश कुमार और बहनोई अशोक कुमार को सूचित किया था कि प्रियंका के गांव कन्हारा के निवासी जितेंद्र (मृतक) के साथ अवैध संबंध हैं। इसलिए उन्होंने जितेंद्र को हटाने का फैसला किया है। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 06.08.2010 पर लगभग 06 बजेः 00 शाम को उनकी योजना के अनुसार, अपीलार्थी (राहुल) जितेंद्र, उनके ससुर रमेश और बहनोई अशोक को बध्रा कहा जाता था। उनके पास एक मारुति कार थी जिसका पंजीकरण संख्या था। डीएल–9 सीजे

5165 और उसके बाद बदरा में जितेंद्र के पास बीयर की दो बोतलें थीं और वह शराब के प्रभाव में आ गया। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि वे सभी मृतक को झोझू से कलियाना पहाड़ी पर ले गए हैं

जहां जितेंद्र भी कार से उतर गया और उन्होंने मृतक पर गोली चला दी और उसे गड्ढे में फेंक दिया। पंजीकरण वाली मारुति कार

नहीं। रिकवरी मेमो के माध्यम से डीएल–9 सीजे–5165 और आरोपी राहुल का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि

23.08.2010 , अपीलार्थी–अभियुक्त ने घटना के स्थान की ओर इशारा किया और 24.08.2010 पर, अपने प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में, एक देशी पिस्तौल। 315 भिवानी के ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले उनके बुआ के घर से बोर और दो जिंदा कारतुस जब्त किए गए। यह आरोप लगाया गया है कि जांच के दौरान अन्य आरोपी, अर्थात् रमेश भी पीड़ित ने खुलासा बयान दिया और खुलासा किया कि वह जिस फोन का सिम इस्तेमाल कर रहा था, वह उसके बहनोई के नाम पर था, और वह उक्त सिम का उपयोग करके अपने दामाद (राहुल) से बात कर रहा था। चूंकि अन्य आरोपी अशोक कुमार फरार था, इसलिए गैर–जमानती वारंट लंबित थे।

Cr.PC की धारा 82 और 83 के तहत निष्पादन और कार्यवाही भी जारी की गई थी।

5. जाँच के पूरा होने के बाद, अपीलार्थी और रमेश के खिलाफ Cr.PC की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी। उनका मुकदमा और मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था। उपरोक्त आरोपों पर, अपीलार्थी (राहुल) और अन्य अभियुक्त, नाम से, रमेश पर आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था और इसमें अपीलार्थी पर भी शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 (1 बी) (ए) के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और मुकदमे का दावा किया। 6. अपीलार्थी और एक अन्य के खिलाफ बनाए गए आरोपों को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों से पूछताछ की है, जिनके नाम हैं, पीडब्लू–1, कृष्ण लाल;

पीडब्लू–2, मंजीत; पीडब्लू–3, मृतक जितेंद्र उर्फ जीतू का भाई अनिल; पीडब्लू–4, रविंदर पाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी; पीडब्लू–5 डॉ. हितेश चावला; पीडब्लू–6 जसवंत सिंह (शिकायतकर्ता); पीडब्लू–7 धर्मेंद्र सिंह, ड्राफ्ट्समैन; पीडब्लू–8 इंद्रजीत, फोटोग्राफर; पीडब्लू–9 एचसी रविंदर कुमार; पीडब्लू–10 एचसी अरविंद कुमार; पीडब्लू–11 एएसआई सूरत सिंह; पीडब्लू–12 कस्तूरी,

मृतक जितेंद्र की मां; पीडब्लू–13 कांस्टेबल जसवीर; पीडब्लू–14 कांस्टेबल मनोज कुमार; पीडब्लू–15 कृष्ण सिंह, जिला मजिस्ट्रेट के रीडर; पीडब्लू–16 सर। बचाव में अभियुक्त की ओर से जगदीश की विधवा डी. डब्ल्यू.–1 रानी से पूछताछ की गई। 7. मुकदमे के पूरा होने के बाद, सत्र न्यायाधीश, भिवानी ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित कर दिया है।

आई. डी. 1 दिनांकित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया कि दोनों अभियुक्त राहुल (अपीलार्थी) और रमेश धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी थे।

आई. पी. सी. की धारा 34 और अपीलार्थी राहुल को भी शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध के लिए दोषी पाया जाता है और तदनुसार उन्हें दोषी ठहराया जाता है। दिनांक 20.10.2012 के आदेश द्वारा दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक को Rs.20,000/– के जुर्माने का भुगतान करने के लिए, जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर, धारा 34, आई. पी. सी. और आगे राहुल v के साथ पठित धारा 302 के तहत प्रत्येक को एक वर्ष की और अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

उच्च न्यायालय, दिनांक 06.12.2016 के निर्णय और आदेश द्वारा, दर्ज की गई दोषसिद्धि और अपीलार्थी पर लगाए गए दंड की पुष्टि करते हुए, अन्य अभियुक्त रमेश को बरी करके आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने माना है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा है

9. हमने सुना है कि श्री तथागट हर्षवर्धन, अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील और श्री दिनेश चंदर यादव को पता चला है हरियाणा राज्य के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता।

10. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने निम्नलिखित किया हैः

प्रस्तुतियाँः

विचाराधीन घटना एक अंधी हत्या और दोषसिद्धि थी

यह केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। पीडब्लू–3 (अनिल) और पीडब्लू–12 (कस्तूरी) जो मृतक के क्रमशः भाई और मां हैं, इच्छुक गवाह हैं और दोषसिद्धि इन लोगों की गवाही पर आधारित है।

इच्छुक गवाह, यह साबित करने के लिए कि मृतक को आखिरी बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था।

पीडब्लूएस–3 और 12 ने अपने बयानों में सुधार किया है और उनके बयानों में भौतिक विरोधाभास हैं। इसके अलावा, पीडब्लू–3 को अभियोजन पक्ष द्वारा शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था।

इन दोनों स्टार गवाहों ने नया सिद्धांत पेश करने की कोशिश की है।

अशोक।

दोषसिद्धि हथियार की कथित बरामदगी पर आधारित है

अभियुक्त–अपीलार्थी के कहने पर और कहा कि हथियार का उपयोग अपराध करने में किया गया था, हालांकि अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित नहीं किया गया था।

किसी अन्य स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव में, नीचे की अदालतों ने ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करने में त्रुटि की है जो भौतिक विरोधाभासों के साथ है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू–3 ने स्वयं मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसे किसी पर कोई संदेह नहीं था, और आरोपी व्यक्तियों के साथ कोई दुश्मनी या रंजिश नहीं थी। आगे का आचरण

उपरोक्त दो गवाह भरोसेमंद नहीं हैं और अप्राकृतिक हैं। इस प्रकार, आखिरी बार देखे गए सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए और उसे त्याग दिया जाना चाहिए। यह.

प्रस्तुत किया जाता है कि संदेह की कोई भी राशि, सबूत का स्थान नहीं ले सकती है और इस तरह अदालतों का कर्तव्य था कि वे निम्नलिखित के आधार पर दोषसिद्धि का आदेश देने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतें – परिस्थितिजन्य साक्ष्य।

कथित तौर पर वसूली के इशारे पर की गई थी

अपीलार्थी झूठा और अविश्वसनीय है, जितना कि तथाकथित वसूली की पुष्टि करने के लिए किसी स्वतंत्र गवाह को नहीं बुलाया गया था।

. 315 बोर देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतुस।

अंत में यह कहते हुए कि अपीलार्थी को तत्काल मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और वह पिछले लगभग 11 वर्षों से कारावास से गुजर रहा है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी को लगाए गए आरोपों के लिए बरी करके अपील की अनुमति देना एक उपयुक्त मामला है।
उसके खिलाफ।

जिसमें इस न्यायालय ने लागू किए जाने वाले परीक्षणों को निर्धारित किया है, जब मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो। उपरोक्त निर्णय के आधार पर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय में बताए गए परीक्षण नहीं हैं अभियोजन पक्ष द्वारा संतुष्ट, अभियुक्त के अपराध को घर लाने के लिए। इसके अलावा, इस तर्क के समर्थन में कि 'आखिरी बार एक साथ देखी गई परिस्थिति' अपने आप में यह निष्कर्ष नहीं निकालती है कि यह आरोपी था जिसने अपराध किया था और इसे स्थापित करने के लिए कुछ और होना चाहिए।

अभियुक्त और अपराध के बीच संबंध, जो अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है और कोई और नहीं, उसने कन्हैया लाल बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। राजस्थान राज्य 2. इसके अलावा, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के अपराध को

साबित करने के लिए, साक्ष्य और परिस्थितियों को घटनाओं की एक श्रृंखला बनानी चाहिए, जो वक्कर और अन्न के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर है। वी. की स्थिति उत्तर प्रदेश 3.

रिकॉर्ड में हैं, प्रस्तुत किया है कि पीडब्लू–3 और पीडब्लू–12 के साक्ष्य के अलावा कई अन्य गवाहों से पूछताछ की गई थी अपीलार्थी के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि

सम्पूर्ण साक्ष्य पर विचार किया जाता है, यह स्पष्ट करता है कि केवल अपीलार्थी ने ही अपराध किया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि

यह दिखाने के लिए कि अपीलार्थी के कहने पर उसके बुआ के निवास से बरामद हथियार का उपयोग अपराध करने के लिए किया गया था। अंत में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि पीडब्लू–3 और पीडब्लू–12, जो क्रमशः मृतक के भाई और मां हैं, से अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए पूछताछ की गई थी, यदि उनकी गवाही अन्य मौखिक और दस्तावेजी के साथ पुष्टि की जाती है, तो उनकी गवाही को त्यागने का कोई आधार नहीं है। अभिलेख पर साक्ष्य। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन पक्ष ने घटनाओं की श्रृंखला को स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है और यदि इसे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अपीलार्थी के कहने पर की गई बरामदगी के साथ माना जाता है, तो यह एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि अपीलार्थी ने अपराध किया है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि निचली अदालत के साथ–साथ उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर विस्तृत रूप से विचार किया है और समवर्ती निष्कर्षों को देखते हुए, जहां तक अपीलार्थी का संबंध है, इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

12. हमने दोनों पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है। 13. हालाँकि अपीलार्थी (राहुल) और एक अन्य अभियुक्त, अर्थात् रमेश पर एक साथ मुकदमा चलाया गया और निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन

उच्च न्यायालय ने रमेश की अपील को स्वीकार कर लिया है और एक निष्कर्ष दर्ज करके उसे आरोपों से बरी कर दिया है कि अभियोजन पक्ष आरोपी रमेश के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। उसी समय, उच्च न्यायालय ने अभिलिखित दोषसिद्धि की पुष्टि की है और

अपीलार्थी पर विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंडादेश। जैसा कि कोई नहीं है उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति को चुनौती देने वाली राज्य की अपील, इस प्रकार, हमें केवल यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या परिस्थितिजन्य है

जिस साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी (राहुल) की दोषसिद्धि दर्ज की जाती है, वह अभियुक्त के अपराध को स्थापित करता है या नहीं। अग्रिम दलीलों से निपटने से पहले, हमें प्रासंगिक साक्ष्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो अभियुक्त अपीलार्थी (राहुल) के खिलाफ मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में है।

14. अभियोजन पक्ष का मामला है कि अपीलार्थी राहुल ने प्रियंका से शादी की है, जो रमेश की बेटी और अशोक की बहन है। यह वह है

अभियोजन पक्ष का मामला कि मृतक जितेंद्र उर्फ जीतू के अपीलार्थी की पत्नी प्रियंका के साथ संबंधों के कारण, अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों ने मृतक को खत्म करने का फैसला किया है। यह सच है कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। नेत्र साक्ष्य में पीडब्लू–3 और पीडब्लू–12 का बयान मिलता है जो मृतक के क्रमशः भाई और माँ हैं। सिर्फ इसलिए कि दो गवाह मृतक से संबंधित हैं, कि अपने आप में, उनकी गवाही को त्यागने का कोई आधार नहीं है। यदि उनकी गवाही अभिलेख पर अन्य साक्ष्य द्वारा पुष्टि की जाती है, तो अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए उसी पर भरोसा किया जा सकता है।

15. इस मामले में पीडब्लू–1 और 2 को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था और पीडब्लू–3 को भी किसी स्तर पर शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था। उसके द्वारा जाँच की गई थी

अभियोजन पक्ष के वकील। अपनी मुख्य जाँच में मृतक (जीतू) के भाई पीडब्लू–3 (अनिल) ने बयान दिया है कि जितेंद्र उर्फ जीतू उसका छोटा भाई था। 06.08.2010 पर गाँव चांदवास के रमेश

उसके घर आया था और उसने लगभग 02 बजे अपनी उपस्थिति में जीतू को बतायाः 00 या 02: 30 शाम को वह अपीलार्थी (राहुल) आएगा और उसके पास 'कावर' लाने के लिए हरिद्वार जाने का कार्यक्रम था। इसके बाद

शाम को लगभग 05 बजेः 00 शाम को, वह, उसकी माँ और भाई जीतू एक बस में बदरा गए। उन्होंने कुछ सामान खरीदे और कुछ समय बाद जीतू उनसे अलग हो गया और दो घंटे बाद राहुल (अपीलकर्ता), जीतू और अशोक एक मारुति कार 800 सीसी No.DL–9 सीजे–5165 में आए और उन्हें बताया कि वे हरिद्वार जा रहे हैं और तीन–चार दिनों में वापस आ जाएंगे। जीतू राहुल और अशोक के साथ गया था। तीन–चार दिन बाद उसने अपने भाई से उसके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दोनों मोबाइल बंद थे। इसके अलावा, उन्होंने अपदस्थ कर दिया है कि 14.08.2010 पर उनकी बहन ने अखबार पढ़ा था और उन्हें कपड़ों और चप्पलों का विवरण बताया था जो समाचार पत्र में उल्लेख किया गया था। इसके बाद उन्होंने यह भी पढ़ा कि अखबार, जैसे वे पुलिस स्टेशन गए और उनके कपड़े देखे

जीतू और जीतू के मृत शरीर की तस्वीरें। उन्होंने कपड़ों की पहचान राहुल बनाम से की और जीतू की तस्वीरें। उस समय उन्हें किसी पर कोई संदेह नहीं था। मुख्य जाँच के माध्यम से कुछ हद तक गवाही देने के बाद, लोक अभियोजक के अनुरोध पर उसे शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया और लोक अभियोजक द्वारा उससे आगे जिरह की गई। जिरह में, उसने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को बताया कि उसके भाई ने अशोक कुमार की बहन प्रियंका को फोन किया था और उस पर, अशोक और रमेश उनके घर आए और विरोध किया, और यही उसके भाई जीतू की हत्या का कारण हो सकता है। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी–रविंदर पाल सिंह की जांच पीडब्लू–4 के रूप में की गई और अपने बयान में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने सहायक के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और Ex.PE के तहत अपनी रिपोर्ट तैयार की और उन्होंने एक मोटा स्केच Ex.PF भी तैयार किया। डॉक्टर

जिन्होंने पोस्टमॉर्टम परीक्षा की थी, अर्थात् डॉ. हितेश चावला की जांच पीडब्लू–5 के रूप में की गई। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि उन्होंने डॉ. जितेंद्र जाखर के साथ पोस्टमार्टम किया।

09.08.2010 पर एक पुरुष व्यक्ति का शरीर और उन्होंने निम्नलिखित चोटों को देखा हैः

" शरीर की लंबाई 180 सेमी थी। शरीर पहने हुए थाः

(1) एक बहुरंगी (नारंगी, सफेद, काली चेक शर्ट) पूरी बाजू वाली, जिसकी भीतरी पीठ पर छाप है जैसा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दिखाया गया है। कमीज खून से सना हुआ था और उसके अनुरूप छेद दिखा रहा था अंतर्निहित चोटें।
(2) रूपा के जॉय 90 सेमी के रूप में ट्रेडमार्क के साथ एक सफेद बनियान। बनियान खून से सना हुआ था।

(3) हुक और जिप के साथ एक क्रीम पैंट सीटू में बंधा हुआ है। पैंट खून से सना हुआ था और ज़िप के अंदरूनी हिस्से पर एक ट्रेडमार्क था

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाया गया है।

(4) लोचदार कमर के साथ नीले और भूरे रंग की धारियों वाले अंडरवियर के लोचदार हिस्से पर जॉकी की छाप होती है।
(5) गर्दन के चारों ओर लाल धागा जिसमें "शिवाजी" का एक पीला धातु का लॉकेट है।

शरीर कमरे के तापमान पर था। इससे बदबू आ रही थी। अंडे के गुच्छे और 0.3–0.5 सेंटीमीटर आकार के मैगॉट्स पूरे शरीर में जगह–जगह मौजूद थे। खोपड़ी के बाल काले, 6–8 सेंटीमीटर लंबे, मध्यम कर्षण के साथ छील दिए गए थे। मुँह, होंठ और जीभ विकृत हो गई थी। आँखें बंद थीं। मूंछें 0.3–0.5 सेंटीमीटर लंबी काली थीं, दाढ़ी मुंडवा ली गई थी। मुँह टिप के साथ खुला था। जीभ बाहर निकलती है। चेहरे की विशेषताएँ विकृत थीं। कठोर मृत्यु हो गई थी; त्वचा की संगमरमर की उपस्थिति जगह–जगह मौजूद थी। एपिडर्मिस को जगह–जगह छील दिया गया था। छाती तंग हो गई थी। पेट फूला हुआ था। अग्रवर्ती पेट की दीवार पर हरा रंग देखा गया। प्यूबिक बाल 2 से 3 सेमी लंबे, काले रंग के और घुंघराले होते थे। लिंग और अंडकोश फैला हुआ था। लंबी हड्डियों के सभी सिरों को जोड़ दिया गया था, जिसमें क्लैविकल का मध्य छोर भी शामिल था। कपाल के टांके अर्थात् सागिट्टल, कोरोनल और लैम्ब्डॉइड को खोपड़ी की आंतरिक मेज के साथ–साथ बाहरी मेज पर भी मिटा नहीं दिया गया था। उरोस्थि के शरीर को जोड़ा गया था; ज़ाइफ़ॉइड और मैन्युब्रियम को जोड़ा नहीं गया था। सभी तीसरे दाढ़ फट गए और हल्के से मध्यम घर्षण दिखा रहे थे।

शरीर पर निम्नलिखित चोटें थींः

प्लीहा और फेफड़ों के नीचे घाव संख्या के रूप में बाहर निकलने के लिए।

2 . (2) ऊपरी पीठ के दाईं ओर 1 x 0.5 सेमी आकार का एक आग्नेयास्त्र निकास घाव, मध्य रेखा से 10 सेमी दूर और कंधे के ब्लेड से 15 सेमी नीचे। घाव के किनारे नुकीले और अनियमित थे।

(3) बाईं छाती की दीवार पर 2 x 2 सेमी आकार का एक आग्नेयास्त्र प्रवेश घाव, 4 सेमी मध्य से बाएं निप्पल और मध्य रेखा से 5 सेमी दूर और बाईं एड़ी से 139 सेमी ऊपर। घाव के किनारे अनियमित, उल्टे थे और प्रवेश घाव के चारों ओर 3–5 मिमी के लिए घर्षण कॉलर मौजूद था। घाव को पीछे की ओर, नीचे की ओर, बाएँ से दाएँ की ओर निर्देशित किया गया था, जो प्लूरा, फेफड़े, पेरिकार्डियम, हृदय के आधार और श्वासनली के नीचे, तीसरे इंटरकोस्टल स्थान को छेदता था। गोली त्वचा के ठीक नीचे, मांसपेशियों में मिली थी।

दाएँ ऊपरी पीठ पर स्कैपुला की निचली सीमा के साथ, 12 सेमी मिडलाइन से दूर और कंधे के ब्लेड से 18 सेमी नीचे। गोली की लंबाई 3 सेमी थी। पूरा ट्रैक अपनी पूरी लंबाई में उभरा हुआ था।

(4) चेहरे के बाईं ओर 3 x 2 से. मी. आकार का एक आग्नेयास्त्र प्रवेश घाव, मुंह के पार्श्व से बाएं कोण और बाईं एड़ी से 155 से. मी. ऊपर।

घाव के किनारे अनियमित, उल्टे थे। घाव का मध्य छोर मुँह के पार्श्व कोण तक पहुँच रहा था। वसीयत को बाएं से दाएं पीछे और ऊपर की ओर निर्देशित किया गया था; अनिवार्य, बाएं मैक्सिला और दाएं मैक्सिला के बाएं रामस को कई टुकड़ों में तोड़ दिया गया था, जिसमें टूटे हुए छोर दिखाई दे रहे थे।

रक्त की घुसपैठ; घाव संख्या के रूप में बाहर निकलने के लिए 5 .

(5) एक आग्नेयास्त्र निकास दाएँ कान से 5 सेंटीमीटर पीछे स्थित 2.5 x 2.0 सेंटीमीटर आकार का होगा। घाव के किनारे नुकीले और अनियमित थे। वर्णित चोटों के स्थलाकृतिक प्रतिनिधित्व किए गए थे

और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया।

प्रणालीगत परीक्षा में निम्नलिखित निष्कर्ष देखे गएः खोपड़ी, कशेरुका और पीढ़ी के आंतरिक अंग स्वस्थ थे।

मस्तिष्क, हाइड और पेरिटोनियम की झिल्ली बरकरार थी। मस्तिष्क मोटा, धूसर रंग का था। बड़ी वाहिकाएँ और मूत्राशय खाली थे। पेट में ऐप था। 30 सीसी। श्लेष्मा पदार्थ और उसका श्लेष्मा पीला था। छोटी आंत में चीम होता है। बड़ी आंत में मल पदार्थ और गैसें होती थीं। यकृत, प्लीहा और गुर्दे पीले और नरम हो गए थे।

डॉक्टर (पीडब्लू–5) ने बयान दिया है कि मृत्यु का कारण आग–बांह की चोटें थीं और वे पूर्व–शव परीक्षण प्रकृति के थे।

संभवतः चोटों और मृत्यु के बीच का समय तत्काल था और मृत्यु और पोस्टमॉर्टम परीक्षा के बीच का समय 1 से 3 दिन था। इसके अलावा, उनके माध्यम से, यह साबित होता है कि चलाई गई गोली Ex.P1 वही थी जो मृतक के शरीर से निकाली गई थी। शिकायतकर्ता (जसवंत सिंह) जिसने पहले पुलिस को सूचित किया था, उससे पीडब्लू–6 के रूप में पूछताछ की गई। उसने पुलिस को दी गई जानकारी को दोहराते हुए बयान दिया है। स्केल्ड साइट प्लान Ex.PT तैयार करने वाले ड्राफ्ट्समैन की जांच पीडब्लू–7 के रूप में की गई और यह साबित करने के लिए कि फोटो Ex.PW8/1 से Ex.PW8/8, पीडब्लू–8 इंद्रजीत की जांच की गई। पीडब्लू 10 हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार, जो गश्त पर तैनात थे।

अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ, 21.08.2010 पर अपीलार्थी की कार का निरीक्षण किया है और उससे जाँच अधिकारी द्वारा पूछताछ की गई थी, जिसे Ex.PV के तहत प्रकटीकरण बयान दिया गया था। इसके अलावा, पीडब्लू–10 ने यह भी बताया है कि अपीलार्थी ने पहले के बयान को अस्वीकार कर दिया है और उसने कहा कि उसने पिस्तौल और गोलियों को हाउस No.160, हाउसिंग बोर्ड, भिवानी में अपने बुआ के घर में छिपा दिया। यह खुलासा

बयान Ex.PX के रूप में दर्ज किया गया था। मृतक की माँ पीडब्लू–12 [2021] 2 एस. सी. आर.

(कस्तूरी) ने अपने बयान में कहा कि जिट्टू को अपीलार्थी (राहुल) और अशोक बस स्टॉप से यह कहते हुए ले गए थे कि वे 'कावर' लाने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि घटना से कुछ दिन पहले, रमेश द्वारा एक पंचायत बुलाई गई थी और अशोक इस बात पर कि उसका बेटा जीतू रमेश की बेटी को टेलीफोन कर रहा था और इसी वजह से अभियुक्तों ने उसकी हत्या कर दी।

बेटा। पीडब्लू–16–जांच अधिकारी (सरिफ सिंह) ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने घटनास्थल से दो खाली स्थान उठाए और उन्हें कब्जे में ले लिया गया और ज्ञापन के माध्यम से सील कर दिया गया। उसने यह भी कहा कि उसने उस स्थान से खून से सना मिट्टी उठाया जिसे ज्ञापन के माध्यम से सील कर दिया गया था। इसके अलावा, पीडब्लू–17–एएसआई आमिर सिंह ने अपने बयान में कहा है कि उसे पुलिस स्टेशन चरखी दादरी में आई. ओ. के रूप में तैनात किया गया था और राहुल को गिरफ्तार करने के बाद उसने उससे पूछताछ की और उसने अपना खुलासा बयान दिया। विजेंदर सिंह, डा.

पुलिस अधीक्षक/एस. एच. ओ., पी. एस. सदर, दादरी से 31.08.2010 पर पी. डब्ल्यू. 20 के रूप में पूछताछ की गई।

16. बचाव में, अभियुक्त ने हाउस नंबर 160, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भिवानी के निवासी जगदीश की विधवा डी. डब्ल्यू.–1–रानी से पूछताछ की। उस में

हालाँकि अपीलार्थी के कहने पर उसके घर से पिस्तौल की बरामदगी को गलत साबित करने के लिए उसकी जाँच की गई थी, लेकिन साथ ही उसने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि पुलिस अधिकारी उसके बयान से लगभग डेढ़ साल पहले उसके घर आए थे। 17. यद्यपि मुख्य रूप से अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उद्देश्य में एक बेहतर संस्करण है

रमेश। केवल इसलिए कि पीडब्लू–3 ने पहली बार में बयान दिया है कि मृतक और अपीलार्थी के बीच कोई संदेह या कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन साथ ही उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि आई. डी. 1 पर रमेश, दूसरा आरोपी गाँव चांदवास आया था और उसकी उपस्थिति में आया था। रमेश ने लगभग 2 बजे जीतू से कहाः 00 या 2: 30 शाम को राहुल आएगा और उन्होंने 'कावर' लाने के लिए हरिद्वार जाने की योजना बनाई है। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट रूप से अपदस्थ किया जाता है कि उसी दिन शाम को पीडब्लू–3–अनिल अपने भाई जीतू और उसकी माँ कस्तूरी–पीडब्लू–12 के साथ एक बस में बदरा गए और उन्होंने कुछ सामान खरीदे, जिसके बाद राहुल बनाम।

जीतू अलग हो गया और दो घंटे बाद राहुल, जीतू और अशोक एक मारुति कार में आए और कहा कि वे हरिद्वार जा रहे हैं और वापस आ जाएंगे। शुरू में कोई संदेह नहीं दिखाया गया था लेकिन साथ ही साथ जब पीडब्लू–3 को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया और लोक अभियोजक द्वारा जिरह में उसने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को बताया कि उसके भाई जीतू ने अशोक कुमार की बहन प्रियंका को और उस पर प्रियंका के भाई अशोक और प्रियंका के पिता रमेश को टेलीफोन किया था।

वे उनके घर आए और विरोध किया। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों द्वारा उनके भाई जीतू की हत्या का कारण यही हो सकता है। पीडब्लू–12, जो मृतक की मां है, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना से कुछ दिन पहले रमेश और अशोक ने इस मुद्दे पर एक पंचायत बुलाई थी कि उसका बेटा जीतू टेलीफोन कर रहा था

रमेश की बेटी को फोन करता है और इस वजह से उन्होंने उसके बेटे की हत्या कर दी। हालाँकि अपीलार्थी के वकील का यह तर्क है कि पीडब्लू–3 और पीडब्लू–12 मृतक के परिवार के सदस्य/करीबी रिश्तेदार हैं, इसलिए उनकी गवाही को खारिज किया जाना चाहिए, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

केवल इसलिए कि पीडब्लू–3 और पीडब्लू–12 संबंधित हैं, उनकी गवाही को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। इसके अलावा, एक करीबी रिश्तेदार जो एक स्वाभाविक गवाह है, उसे एक इच्छुक गवाह नहीं माना जा सकता है। यह काफी अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि इच्छुक व्यक्ति के साक्ष्य पर भी विचार किया जा सकता है बशर्ते कि इस तरह के साक्ष्य की पुष्टि अन्य साक्ष्यों द्वारा की जाए।

रिकॉर्ड में। इस स्तर पर, कन्हैया लाल और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले को संदर्भित करना उचित है। आदि वी। राजस्थान राज्य। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 24 और 25 को नीचे पढ़ा गया हैः

" 24. हरि ओबुला रेड्डी बनाम। ए. पी. राज्य (1981) 3 एस. सी. सी. 675 और तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी है कि इसे इस प्रकार निर्धारित नहीं किया जा सकता हैः

" एक अपरिवर्तनीय नियम है कि इच्छुक साक्ष्य कभी भी दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता है जब तक कि स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा भौतिक विवरणों में एक भौतिक सीमा तक पुष्टि नहीं की जाती है। वह सब कुछ

आवश्यक है कि इच्छुक गवाहों का साक्ष्य होना चाहिए

सावधानीपूर्वक जाँच के अधीन रहें और सावधानी के साथ स्वीकार करें। यदि इस तरह की जांच पर, इच्छुक गवाही पाई जाती है

आंतरिक रूप से विश्वसनीय या स्वाभाविक रूप से संभावित, यह अपने आप में, विशेष मामले की परिस्थितियों में, उस पर दोषसिद्धि के आधार के लिए पर्याप्त हो सकता है। (एससीसी पीपी। 683–84 , पैरा 13)

25. कार्तिक मल्हार बनाम। बिहार राज्य (1996) 1 एस. सी. सी. 614 इस न्यायालय ने कहा है (एस. सी. सी. p.621, पैरा 15) कि एक करीबी रिश्तेदार जो है

4 (2013) 5 एससीसी 655 [2021] 2 एस. सी. आर.

एक स्वाभाविक गवाह को एक इच्छुक गवाह के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि "इच्छुक" शब्द यह मानता है कि गवाह को किसी न किसी तरह से आरोपी को दोषी ठहराने में कुछ रुचि होनी चाहिए।

किसी शत्रुता या किसी अन्य कारण से।

राम चंदर और अन्य के मामले में इस दलील को खारिज करते हुए कि गवाह मृतक के करीबी संबंध में थे। वी. की स्थिति

हरियाणा 5 इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

" 33. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील का यह निवेदन कि चूंकि गुड्डी (पीडब्लू 9) मृतक व्यक्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध में थी, इसलिए किसी भी स्वतंत्र गवाह के साक्ष्य के अभाव में उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, इस न्यायालय द्वारा दलबीर कौर बनाम मामले में निर्धारित कानून के आलोक में खारिज किए जाने योग्य है। पंजाब राज्य (1976) 4 एस. सी. सी. 158 और हरबंस कौर बनाम। हरियाणा राज्य (2005) 9 एस. सी. सी. 195, जो निम्नलिखित प्रस्ताव देता है (हरबंस कौर मामला, एस. सी. सी. p.198, पैरा 7)

" 7. कानून में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि रिश्तेदारों को झूठा गवाह माना जाए। इसके विपरीत, यह दिखाने के लिए कि गवाहों के पास वास्तविक अपराधी को बचाने और गलत तरीके से फंसाने का कारण था, पक्षपात की याचिका दायर करने पर कारण दिखाना पड़ता है।

अभियुक्त "। . "

18. पीडब्लू–5 (डॉक्टर) के बयान और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मृतक के शरीर पर चोटें लगी थीं

एक अग्नि–भुजा और गोली के साथ शरीर में जड़ा हुआ पाया गया। यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृत्यु आग–बांह की चोटों के कारण हुई थी और प्रकृति में पूर्व–मृत्यु थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस गोली को Ex.P1 के रूप में चिह्नित किया गया था, वह वही थी जिसे मृतक के शरीर

से निकाला गया था। 19. यदि हम दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अभिलेख पर मौखिक साक्ष्य की बारीकी से जांच करते हैं, तो हमारा विचार है कि

साक्ष्य की एक पूरी श्रृंखला है जो अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर ले जाएगी कि अपीलार्थी–अभियुक्त ने अपराध किया है और कोई और नहीं। यहां तक कि वसूली भी पर्याप्त रूप से ठोस साबित होती है।

सबूत। प्रकटीकरण बयान में अपीलार्थी–अभियुक्त ने कहा है कि उसने अपने बुआ के साथ हथियार को हाउस No.160, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भिवानी में रखा है। हालाँकि बरामदगी को गलत साबित करने के लिए आरोपी की ओर से उसकी जाँच की गई थी, साथ ही, उसने स्वीकार किया है

5 (2017) 2 एससीसी 321 राहुल बनाम।

प्रतिपरीक्षा कि पुलिस ने एक साल में उसके स्थान का दौरा किया है और

उसके बयान से आधा पहले। यदि साक्ष्य के इस हिस्से की जब्ती पर अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के साथ जांच की जाती है, तो अपीलार्थी के बुआ, यानी हाउस No.160, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भिवानी के निवास से हथियार की बरामदगी पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। ऐसी बरामदगी के लिए गवाहों से पूछताछ करके सभी बरामदगी साबित हो गई हैं। केवल पिस्तौल की बरामदगी के प्रकटीकरण कथन Ex.PX को देखते हुए। 315 भिवानी में उनके बुआ के घर से बोर और कारतुस बनाए गए थे, 24.08.2010 पर रिकवरी मेमो Ex.PY के माध्यम से। इसके अलावा, एफ. एस. एल. रिपोर्ट Ex.PXX के अनुसार, देश में बनी पिस्तौल। 315 अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त बोर–मृतक की हत्या करने के लिए अपीलकर्ता कार्यशील क्रम में पाया गया था और घटनास्थल से बरामद किए गए गोलियां और मृतक के शरीर से निकाली गई गोलियां, दोनों आरोपी (राहुल) के कहने पर बरामद की गई देसी पिस्तौल से चलाई गई पाई गई हैं। इसके अलावा, मृतक के व्यक्ति पर चोटों को डॉक्टर द्वारा साबित किया गया है जिसकी जांच पीडब्लू–5 के रूप में की गई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री साक्ष्य की रमेश, अशोक कुमार और जितेंद्र के मोबाइल फोन के कॉल विवरण से पुष्टि हुई है और इस तरह के कॉल विवरण पीडब्लू–14 के बयान से साबित हुए हैं। इसके अलावा, यह भी अच्छी तरह से तय है कि यदि

अभिलेख पर अन्य साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह स्थापित करते हैं कि मृतक की हत्या अपीलार्थी द्वारा अग्नि–भुजा का उपयोग करके की गई थी, उद्देश्य का तथ्य अपना महत्व खो देता है, इससे भी अधिक, इस मामले में उद्देश्य को यह दिखाने के लिए प्रमुख ठोस साक्ष्य द्वारा स्थापित किया गया है कि केवल इसलिए कि मृतक की हत्या की गई थी।

अपीलार्थी की पत्नी प्रियंका के साथ विकसित संबंध ने मृतक को खत्म करने का फैसला किया है।

ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके संदेह। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा उद्देश्य भी साबित किया जाता है। 21. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए संजय ठकरान 1 के मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ परीक्षणों को ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके पूरा किया जाना है, जब मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है। इसके अलावा, वक्कर 3 के मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि केवल वसूली ही दोषसिद्धि और

दोषपूर्ण वस्तुओं की वसूली का आधार नहीं हो सकती है और इसके साक्ष्य मूल्य पर अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए। हालाँकि, इस मामले में रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि अभियोजन पक्ष ने [2021] 2 एस. सी. आर. को आराम देकर आरोपी के अपराध को घर लाने के लिए संजय ठाकरे 1 के मामले में उल्लिखित सभी परीक्षणों को पूरा कर लिया है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर। यदि बरामदगी के तथ्य को पूरी तरह से अन्य साक्ष्य के साथ माना जाता है, तो यह एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष देता है कि अकेले अपीलार्थी ने हथियार का उपयोग करके अपराध किया है, जो डी. डब्ल्यू.–1 के घर से बरामद किया जाता है, जो अपीलार्थी का बुआ है। इसके अलावा, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या अभियुक्त का अपराध परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर साबित होता है या नहीं, प्रत्येक मामले का निर्णय अभिलेख पर साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन पर किया जाना चाहिए, जैसे कि हमारा विचार है कि मामला कानून, जिस पर अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है, उसकी याचिका को स्वीकार करने के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा कि अपीलार्थी को गलत तरीके से फंसाया गया था।

22. उच्च न्यायालय ने इसमें अपीलार्थी और एक अन्य अभियुक्त रमेश द्वारा दायर अपील में अभिलेख पर साक्ष्य की पुनः सराहना की और

जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की और दूसरे अपीलार्थी अर्थात रमेश को बरी कर दिया। यद्यपि अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा इसका प्रतिवाद किया गया है, लेकिन उसी साक्ष्य के आधार पर अन्य अभियुक्त रमेश को बरी करते समय, जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करने का कोई कारण नहीं है। विवादित फैसले में, उच्च न्यायालय ने दूसरे अपीलार्थी, अर्थात रमेश को बरी करने के कारणों को दर्ज किया है। पीडब्लू–3 अनिल ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वह अपनी मां और मृतक के साथ थे जीतू, कुछ समय बाद बध्रा गया, जीतू उनसे अलग हो गया, और राहुल (अपीलार्थी) और अशोक (घोषित अपराधी) के साथ एक मारुति कार में वापस आ गया। पीडब्लू–3 द्वारा कहा गया है कि उस समय जितेंद्र @जीतू ने कहा था कि वह हरिद्वार जा रहा था और तीन–चार दिनों में वापस आ जाएगा। इसके बाद जितेंद्र @जीतू राहुल और अशोक के साथ चला गया। मृतक की मां पीडब्लू–12 (कस्तूरी) का बयान भी इसी तरह का है। अभिलेख पर उक्त साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि मृतक जितेंद्र उर्फ जीतू को आखिरी बार राहुल के साथ देखा गया था

(केवल अपीलार्थी) और अशोक (घोषित अपराधी)। इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि रमेश (उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता) भी हरिद्वार जाने के लिए जितेंद्र उर्फ जीतू के साथ थे। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं होने पर कि मृतक को भी रमेश के साथ अंत में पीडब्लू–3 और पीडब्लू–12 द्वारा देखा गया था, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जहां तक दूसरे अपीलार्थी रमेश का संबंध है, अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है। उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए इस तरह के तर्क और रिकॉर्ड पर साक्ष्य को देखते हुए बरी होने के उचित कारण हैं

अन्य अपीलार्थी, अर्थात् रमेश, जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए।

विद्वान वकील द्वारा 11 साल से अधिक की सजा के लिए कहा गया है, यह 14 साल की सजा पूरी करता है सजा की माफी के लिए प्रेषण। डी, संबंधित प्राधिकारी/जेल

मुझे सरकार को जो होना है

राज्य की नीति।

याचिका खारिज कर दी गई।